UPSM010027772026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), शामली ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–991/2026

सुऐब उर्फ शोयब पुत्र सलीम, निवासी मोहल्ला कलन्दरशाह शामली, थाना व जिला शामली।

------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

----------विपक्षी।

मु०अ०सं०–237/2026,
धारा–65(1) बी.एन.एस.व
3/4(2) पोक्सो अधिनियम
थाना–शामली, जिला शामली।

दिनांक–07.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **सुऐब उर्फ शोयब पुत्र सलीम** की ओर से बजरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के भाई व पैरोकार वसीम पुत्र सलीम का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में ये आधार लिये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित घटना में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना की दिनांक, समय व स्थान नहीं दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जेल में बन्द है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा घोर आपत्ति की गई एवं कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार यदि उक्त अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो उसके फरार होने, सबूतों को नष्ट करने व गवाहों को प्रभावित करने की पूर्ण सम्भावना है। इसके इतर आवेदक/अभियुक्त का किसी अन्य आपराधिक मुकदमें का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादिनी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष, जो नाबालिग है, को सुऐब पुत्र सलीम, निवासी मोहल्ला कलन्दरशाह ने करीब एक साल से दबाब में लेकर लगातार रेप कर रहा था, वादिनी मुकदमा की बेटी जब गुमशुम रहने लगी तो पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर

अभियुक्त शुऐब के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 65(1) बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम दर्ज की गयी।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 15 वर्ष के साथ बलात्कार करने तथा प्रवेशन लैंगिक हमला करने के आरोप है। नाबालिग पीड़िता ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में कथन किया है, साथ ही यह भी कथन किया है कि उसे आवेदक/अभियुक्त के द्वारा लगातार डरा–धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाये जा रहे थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतीत होता है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 14–15 वर्ष के बीच रही थी। नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में आवेदक/अभियुक्त के साथ उसके सौहार्दपूर्ण प्रेम संबंध होना तथा उन दोनों के भविष्य में भागकर शादी किये जाने के संबंध में कथन किया गया। चूंकि पीड़िता नाबालिग है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उसने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में कथन किया है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।

उपरोक्त दशा में अपराध की प्रकृति, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, जबकि विवेचना अभी प्रचलित है, यह न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं पाता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुऐब उर्फ शोयब पुत्र सलीम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–07.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)
शामली।